Title: Need to protect the interests of tribal labourers engaged in industrial units of Mirzapur, Uttar Pradesh.

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्ज़ापुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में आदिवासी और वनवासी ज्यादा संख्या में रहते हैं। यह पिछड़ा हुआ जंगली इलाका है जहां कोई भी औद्योगिक ईकाई नहीं है। वहां बड़े पैमाने पर लोगों का शोाण हो रहा है। अभी गुड़गांव में बहुत बड़े पैमाने पर एक कांड हुआ है। उसी तरीके से मेरे जनपद में भी आदिवासी लोगों से काम लिया जाता है लेकिन उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लिया जाता है। हिंडालको ने हजारों मजदूरों को निकाल बाहर किया है। वहां हाई-टैक कार्बन के अवशे ासायनिक रूप में रिहाद बांध से निकलने वाली नदी में बहा दिये जाते हैं जिसका कुप्रभाव आम जनता पर पड़ता है। आदिवासियों का जीवन उस जल से चलता है। इतना ही नहीं, श्रमायुक्त अन्य अधिकारियों से मिलकर आम जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जंगल विभाग की सैंकड़ों एकड़ जमीन हिंडालको ने अपने कब्जे में कर ली है और प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। आदिवासियों को न नौकरी दी जा रही है, न कोई भागादारी मिल रही है। लोगों में बड़ा भारी असंतोा व्याप्त है। लोगों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। मंडल के डिप्टी लेबर कमिश्नर द्वारा कई औद्योगिक इकाईयों को हाथ में लेकर मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। श्रमिकों के शरीर रसायनिक तत्वों से खराब हो रहे हैं। ऐसी फैक्टरियां विकलांग लोगों से ग्रस्त हो चुकी हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे। यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई है। इस संबंध में कई पत्र मंत्री जी को लिखे जा चुके हैं लेकिन जवाब आता है कि मामला दिखवा रहा हूं, कार्यवाही कर रहा हूं। मैंने पिछली बार भी जीरो ऑवर में यह मामला उठाया था कि उन लोगो के लिये अलग से एक पैकेज बनाया जाये। हिंडालको कम्पनी मजदूरों का शोाण कर रही है,उसे रोका जाये, कठोर कार्यवाही की जाये और मजदूरों, आदिवासियों और वनवासियों के अधिकार सुरक्षित कराये जाये।